श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

श्री शांति धारीवाल
माननीय मंत्री
नगरीय विकास,स्वायत्त शासन एवं आवासन
राजस्थान सरकार

प्रशासन शहरों के संग

अभियान शहर 2021

प्रशासन शहरों के संग अभियान
★ शहर 2021 ★
सरकार का हाथ,
जनता के साथ
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

न.वि.अ.

नगर विकास न्यास, अलवर

आमजन के कार्यों का शीघ्रता से निष्पादन हेतु राज्य–सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान शहर–2021 के तृतीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें राज्य–सरकार द्वारा विभिन्न दरों में शिथिलता प्रदान करते हुए एवं नियमों में सरलीकरण कर आमजन को अधिकतम पट्टे वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

पट्टे के लाभ –

- सरकार की आवास योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- जमीन का अधिकार मिलेगा।
- एक कीमती सरकारी दस्तावेज।
- भवन निर्माण स्वीकृति पाना होगा आसान।
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में ऋण प्राप्ति में सुविधा
- मूलभूत सुविधा मिलेगी आसान।
- बिजली पानी का कनेक्शन आसानी से मिलेगा।
- जमीन के विवादों से मिलेगा छुटकारा।

नियमन पट्टा आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदन फार्म
2. क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (आवासीय हेतु)
3. स्वघोषणा पत्र पर निर्धारित प्रपत्र में
4. भूखण्ड के तीन नक्शे ब्लू प्रिन्ट
5. मिलान क्षेत्रफल
6. जमाबन्दी हाल जिसमें 90–क के नोट के साथ खातेदार का नाम अंकित हो।
7. भूखण्ड का फोटो मय चारदीवारी मालिक का नाम, खसरा नं., भूखण्ड सं., ग्राम का नाम अंकित कर स्वयं के द्वारा खड़े होकर।
8. स्वामित्व दस्तावेज बयनामा/इकरारनामा चैन प्रक्रिया पूर्ण।
9. आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज।

नोट : आवेदनकर्ता अपनी पत्रावली में आवेदन फार्म, शपथ पत्र इत्यादि में समस्त कॉलमों की पूर्ति एवं दस्तावेजों को स्व: प्रमाणित आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।

आवेदक द्वारा अभियान के दौरान सूचनाएँ आवेदन फार्म में अेंकित मोबाइल नम्बर पर दी जावेगी।

नियमन पट्टा आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदन फार्म
2. क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र (आवासीय हेतु)
3. स्वघोषणा पत्र पर निर्धारित प्रपत्र में
4. भूखण्ड के तीन नक्शे ब्लू प्रिन्ट
5. मिलान क्षेत्रफल
6. जमाबन्दी हाल जिसमें 90–क के नोट के साथ खातेदार का नाम अंकित हो।
7. भूखण्ड का फोटो मय चारदीवारी मालिक का नाम, खसरा नं., भूखण्ड सं., ग्राम का नाम अंकित कर स्वयं के द्वारा खड़े होकर।
8. स्वामित्व दस्तावेज बयनामा/इकरारनामा चैन प्रक्रिया पूर्ण।
9. आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज।

नोट : आवेदनकर्ता अपनी पत्रावली में आवेदन फार्म, शपथ पत्र इत्यादि में समस्त कॉलमों की पूर्ति एवं दस्तावेजों को स्व: प्रमाणित आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।

आवेदक द्वारा अभियान के दौरान सूचनाएँ आवेदन फार्म में अंेकित मोबाइल नम्बर पर दी जावेगी।

स्वीकृत ले-आउट प्लानों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.
1	अलवर नं0 1	खसरा नं0 709, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 810/2675, 811, 812, 813, 835, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 922/2577, 923, 924, 925, 925/2587, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 1926, 1930, 1932, 1933, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 955, 956, 960, 1857, 1811, 1859, 1860, 1861, 1868, 1869, 1871, 1875, 1876, 1877, 1878, 1858, 1879, 1881, 1882, 1883, 1870, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1971, 175, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2443/2696, 2445, 2458, 2463, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2491/2596, 2492, 2493, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2303, 2304, 2305, 2306, 2310, 2311, 2322, 2323, 2325, 2326, 2327, 2329, 2337, 2344, 2349, 2363, 2365, 2370, 2371, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2390, 2391, 2393, 2394,2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2448, 2449, 2450, 2442, 455, 456, 457, 461, 492, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 492, 494, 495, 496, 669, 670, 672, 673, 675, 2018 706, 707, 708, 176, 2266, 2268, 1049, 1053, 2333, 2334, 2335, 2336, 2379, 2380, 2383, 2384, 2388, 2389, 92, 2892/3616 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1078 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 2257/2583, 614, 1552/3190, 1557, 1558 1299, 1302, 1303, 1306, 1307, 1309, 1877, 2271, 329/2603, 1570, 1571, 1572, 1573, 1576, 1577, 1570, 2333 से 2336, 2379, 2380, 2383, 2384, 2385, 2388, 2389, 2392, 2276 से 2279, 2284, 2285, 2446
2	अलवर नं0 2	खसरा नं0 1274 से 1287, 1289, 1290, 1602, 758, 1344, 1391 से 1393, 1391 से 1393, 1401, 1402, 1403, 1397 से 1398, 1399, 1144, 1144/2082, 1144/2083, 845, 848, 1632 से 1637, 1615, 1621, 1597, 1598, 1627, 706, 707, 1850, 1885, 1413, 1144/2082, 1243, 1244, 1246/2049, 1247, से 1259, 1260/1998, 1261, 1262, 1240 से 1242, 1242/996, 1243 से 1245 पार्ट, 1890, 1202, 1202/2076, 1202/2046, 1196, 1144, 1143, 745, 765, 765/2019, 1396,

''यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

		1409, 1207, 1209 / 2039, 1394, 1608 से 1611, 1298, 1640, 1641, 1643 से 1646, 659, 661 से 671, 1288, 1349, 1350, 3296, 1695, 1285, 672, 678, 1087, 1693, 1694, 1628 से 1631, 1420 से 1423, 1414, 1049, 1053, 1603, 1275, 1630, 1637, 1856, 1074, 1074 / 2064, 1075 / 2066, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1089, 1084, 1085, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1384, 1386, 1387, 1400, 1404, 1416, 1417, 1418, 1605, 1607, 1626, 1639, 1647, 1648, 1649, 1650, 1658, 1659, 1660, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1697, 1698, 1699, 1701, 1702, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1769, 1770, 1771, 1772, 1409, 1407, 1410, 1883, 1887, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1895, 1903, 1907, 1908, 1909, 1910 / 200, 1315, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1464, 1466, 1467, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1513, 1514, 1516, 1517, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1531, 1537, 1542, 1543, 1544, 1545, 1552, 1553, 1554, 1555, 1802, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1807, 1810, 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1842, 1843, 1846, 1847, 1100, 1101, 651, 652, 653, 654, 655, 656 पुराना खसरा नं0 2765, 3467, 3474, 3086, 2485, 2486
3	मूंगस्का	खसरा नं0 26, 28, 31 से 34, 83 / 416, 289, 76, 87, 276, 73, 77, 29, 24, 35 से 44, 85, 83, 369, 370, 91, 135, 30, 27, 441, 21, 4, 125, 92, 94 से 105, 129, 290, 291, 410, 75, 76, 81, 82, 86, 88, 90, 106 से 114, 5, 89, 459, 462, 78, 79, 74, 22, 126, 127, 269, 270, 278, 3, 117, 86, 80, 208 से 214, 224 से 235, 183, 196, 197, 198, 199, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 258 / 480, 258 / 481, 258 / 482, 259, 260, 262, 263, 294 / 484, 294, 295, 296, 299, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 309, 310, 317, 318, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 357 / 485, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 375 / 491, 265 / 477, 265, 269, 292, 293, 294, 337, 338, 339, 354, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 224, 225, 226, 227, 228, 228 / 492, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 72
4	बेलाका	खसरा नं0 18, 286, 198, 13, 14, 15, 342, 366, 367, 17 / 391, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 110, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 231, 232, 234, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 255 / 402, 256, 257, 260, 261, 261 / 401, 262, 347, 348, 349, 350, 285, 34 से 37, 39 से 45, 55 से 57, 59 से 73, 342, 366, 367
5	किटोडा	खसरा नं0 179, 180, 188, 175 से 178, 206, 132, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 206, 234, 235, 236, 237
6	दिवाकरी	खसरा नं0 481 से 489, 489 / 669, 175, 138, 143 से 148, 166, 169 से 173, 86, 87, 120, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 255, 263, 264, 265, 266, 268, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 289, 290, 291, 292,

''यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

		293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 310, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 374, 375, 481 से 486, 489, 669, 487, 488, 586 से 489, 634 से 636
7	नंगली कोता	खसरा नं0 174, 175, 176, 177, 178, 44, 43, 171 से 180, 178/301, 185, 186, 187, 54 से 169, 189, 190, 129
8	सोनावा	खसरा नं0 98, 95, 94, 93, 98/184, 100, 100/182, 100/181, 101, 102, 103/204, 104, 104/176, 104/177, 104/178, 1042179, 104/180, 104/182, 104/188, 104/189, 104/190, 104/195
9	खोहरा	खसरा नं0 47, 50, 56
10	खुदनपुरी	खसरा नं0 101, 102, 105, 107, 110, 111, 112, 112/398, 113, 114, 115, 116, 141, 144, 145, 147, 127, 132, 133, 134, 135, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 224, 227, 228, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 71, 121, 122, 123, 124, 37, 44, 45, 47, 48, 1, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 98, 99, 103, 109, 33, 13, 14, 169, 36, 64, 65, 66, 83, 84, 85 80, 81, 82, 83, 10, 11, 12, 68, 16, 17 184, 187, 200, 91, 214, 22, 86, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 381/395, 370, 369, 201, 202, 204, 207, 210, 249, 238, 239
11	देवखेडा	खसरा नं0 40, 44, 45, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 98, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 217, 218, 219, 228, 231, 57
12	दाउदपुर	खसरा नं0 145, 149, 150, 152, 153, 156, 158, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 291, 306, 123, 127, 131, 132, 133, 134, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 240, 238, 164 से 167, 119, 82, 71 से 74, 98, 99, 80, 331, 151, 128, 139, 140, 315, 241, 307, 264, 224, 264, 224, 78, 135, 136 243 159 129 242 300 138 299 154 155, 155, 186, 189, 190, 191, 192, 149 142, 143, 285, 286, 125, 126, 301, 324, 108, 110, 143, 147, 144, 146, 101, 100, 3, 103, 306, 111, 164 से 167, 238, 240, 271, 269, 208 से 211, 271, 269, 244, 168, 225, 260, 305, 24, 148, 233, 323/342, 74, 92, 93, 157, 186, 289, 325, 325 (पार्ट), 177, 121, 37, 290, 113 से 116, 120, 123, 185, 122, 413, 149, 134, 86, 95, 137, 172

"यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में"

13	भूगोर	ष्खसरा नं0 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 297, 298, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 448, 449, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 459/1549, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 288, 289, 292, 293, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 318, 319, 320, 321, 322, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 345, 347, 348, 349, 436, 437, 438, 438/550, 439, 440, 434, 444, 445, 446, 450, 451, 452, 833, 835, 836, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 927, 928, 85, 86, 87, 93, 94, 153, 530, 532, 533, 226(पार्ट), 367, 373 (पार्ट), 374 से 383, 400(पार्ट), 401, 821, 824, 825, 826, 949, 951, 386, 387, 395, 397, 398, 403, 404, 886, 887, 888, 889, 890, 567, 568, 569ष
14	बल्लाबोडा	खसरा नं0 13, 15, 18, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 51/837, 52, 53, 64, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 105, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 188, 189, 198, 204, 205, 206/823, 207, 207/800, 208, 213, 214, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282/821, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 113 से 129, 133, 135, 133/4261, 136, 165, 157/420, 157, 158, 155, 153/421, 153, 154, 152, 157, 148, 147, 146(पार्ट), 144, 143, 141, 142, 140, 138, 254 से 261(पार्ट), 184, 185, 188, 190(पार्ट), 147, 148 से 159, 163, 164
15	धोबीगट्टा	खसरा नं0 1211, 1214, 1215, 1215/2580, 1206, 1207, 1207/2579
16	नंगला समावदी	KHA.NO. 453 TO 461, 469, 471 TO 477, 481 TO 483, 485, 492, 494 TO 511, 513 TO 515, 518 TO 523, 525 TO 528, 462 TO 468, 493, 512, 521/533, 435 TO 439, 480, 484, 279/1, 280/1, 282, 286, 292/1, 292/2, 297/555, 281, 282/553, 282/554, 283, 284, 285, 291, 289, 293/556, 357/562, 358, 404-408, 399, 399/536, 401-403, 400, 380, 381, 382/567
17	नंगला रायसीस	485 TO 488, 478 TO 479, 497, 485/785
18	धोलीदूब	kh.no. 399
19	तूलेडा	KH. NO. 2380, 2386, 2854, 2856, 1427, 1428, 1385, 1386, 1406, 1410, 1564, 1565, 1566, 2872/3216, 2873
20	बेरका	KH. NO. 46, 47, 1, 2, 3, 4
21	सामोला	KH.NO. 314, 358
22	बलदेवबास	KH, NO. 385/466, 383, 389, 390, 391, 391, 397, 398, 404, 406 TO 409, 410/436, 416, 417

"यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में"

अभियान के दौरान न्यास द्वारा किये गये प्रयास

- न्यास द्वारा फ्री-होल्ड पट्टे जारी करने के लिए वार्ड वार कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर आवेदन पत्र वितरित कर प्रक्रिया से अवकत कराया गया। पट्टे एवं फ्री-होल्ड पट्टे प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया।

- न्यास द्वारा राज्य-सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान के कार्य को प्रगति देने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार किया गया।

- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय चरण में नगर विकास न्यास द्वारा 4500 से अधिक पट्टे वितरित किये गये। प्राप्त आवेदनों में निस्तारण लगभग 95.83 प्रतिशत रहा।

- नाम परिवर्तन के 2138 एवं भवन निर्माण स्वीकृति के 1947 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनका निस्तारण प्रतिशत लगभग 96.82 प्रतिशत रहा।

- कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के 321 ले-आउट प्लान स्वीकृत किये गये तथा 15 ले-आउट प्लान की स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ पट्टे के संबंध में

प्रीमियम दरें - 90 बी/90-ए के समस्त प्रकार के प्रकरणों हेतु

क्र.सं.	प्रयोजन	क्षेत्रफल (व.मी.)	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
1	आवासीय	500 व. मी. तक	100	75	50
		500 व. मी. से अधिक	200	150	100
		ग्रुप हाउसिंग (5000 मी. व उससे अधिक)	200	150	100
3	वाणिज्यिक	300 व. मी. तक	200	100	75
		300 व. मी. से अधिक	400	300	200
3	औद्योगिक	सभी क्षेत्रफल के लिए	200	150	200
4	जन सुविधाएँ (अस्पताल डिस्पेंसरी/स्पोर्टस कॉम्पलेक्स धार्मिक/अध्यात्मिक संस्थायें)	प्रथम 10,000 वर्ग मीटर तक - न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर - न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत			

''यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ पट्टे के संबंध में

क्र.सं.	प्रयोजन	क्षेत्रफल (व.मी.)	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका
5	**अन्य संस्थानिक** (धार्मिक/अलाभकारी चैरि. संस्थाओं के अलावा)	सभी क्षेत्रफल के लिए	100	75	50
6	**फार्म हाउस**	**560 रुपये प्रति व.मी. (भू-आच्छादन क्षेत्र पर)**			
7	**पर्यटन इकाई** **(होटल/मोटल/रिसोर्ट/एम्यूजमेंट पार्क आदि)**	■ प्रथम 20000 वर्गमीटर तक – न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से ■ इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर – न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत			
8	इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एवं प्रोजेक्टस – ऊर्जा दूरसंचार ट्रांसपोर्ट कन्टेनर डिपो	■ प्रथम 20000 वर्गमीटर तक – न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से ■ इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल पर – न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत			

- न्यूनतम आवासीय दर : उस क्षेत्र में 500 वर्गमीटर तक आवासीय भूखण्ड के लिए निर्धारित प्रीमियम दर
- अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पट्टों हेतु प्रीमियम शुल्क पर पेनेल्टी देय नहीं
- पूर्व में मांगपत्र जारी किया हुआ है किन्तु राशि माग पत्र अनुसार जमा नही हुई है तो उक्त प्रीमियम दरों के अनुसार संशोधित मांगपत्र बिना ब्याज/पैनेल्टी के जारी किया जायेगा।

“यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में”

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ पट्टे के संबंध में

10 वर्ष की एकमुश्त लीज :

(क) गैर व्यावसायिक /मल्टीप्लेक्स/पर्यटन ईकाई हेतु	भूखण्ड का क्षेत्रफल × आवासीक दर × 2.5%×10
(ख) व्यावसायिक /मिश्रित	भूखण्ड का क्षेत्रफल × आवासीक दर × 5%×10

- आवासीक दर - आवासीय प्रीमियम दर का चार गुणा
- जिन प्रकरणों में प्रीमियम दरों में शत-प्रतिशत छूट है उनमें लीज राशि आवासिक दर पर देय होगी।
- कृषि जिन्स हेतु वेयर हाउसिंग व कोल्ड स्टोरेज में लीज राशि देय नहीं होगी।
- राजकीय भूमि के आवंटन पर लीज राशि आरक्षित दर पर देय होगी।
- दिनांक 31.03.2019 तक स्वीकृत 90-बी/90-ए के प्रकरणों हेतु - आवासीय 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में प्रीमियम राशि व लीज राशि की देय होगी। (अन्य विकास शुल्क, साईट प्लान शुल्क आदि कोई भी राशि देय नहीं है।)
- निर्माण पट्टों के साथ जी+1 भवन निर्माण हेतु - 300 वर्गमीटर तक 500/- रुपये
  300-500 वर्गमीटर तक 1500/- रुपये एकमुश्त

(भवन निर्माण स्वीकृति हेतु अन्य शुल्क जैसे प्रार्थना पत्र शुल्क, जाँच शुल्क, अनुमोदन शुल्क, अमानत राशि, लेबर सेस आदि पट्टा जारी करते समय देय नहीं होगा।)

''यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

लीज होल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा लेने पर लीज राशि

- संस्थाओं को आवंटित भूमि हेतु दिनांक 28.08.2006 से पूर्व के आवंटनों से आरक्षित दर से तथा दिनांक 28.08.2006 के बाद के आवंटनों पर भूमि आवंटन की दर से लीज राशि देय *(यदि आवंटन निःशुल्क है तो लीज राशि देय नहीं होगी।)*
- निकाय की योजनाओं में भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 15–बी, 18, 18–ए, 18–बी, 18–सी एवं 19 तथा पर्यटन इकाई आदि हेतु रियायती दर पर आवंटित भूमि को फ्री–होल्ड नहीं किया जावेगा।
- दस वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा कराकर सीधे ही निकाय की योजना में नीलामी व लॉटरी से आवंटित भूखण्ड एवं 90–ए व नियम, 2012 के अन्तर्गत भूखण्डों के सीधे ही फ्री–होल्ड पट्टे दिये जा सकेंगे।
- पूर्व में यदि 10 वर्षों की लीज एक मुश्त जमा है, तो कोई लीज राशि देय नहीं होगी।
- पूर्व में यदि 8 वर्षों की एक मुश्त लीज राशि जमा है तो तत्समय की आरक्षित दर/आवासीक दर के आधार पर 2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त देय होगी।
- यदि प्रतिवर्ष लीज राशि जमा करायी जा रही है, तो उसी दर से 10 वर्ष की एक मुश्त लीज देय होगी।
- बकाया लीज राशि व 10 वर्षों की अग्रिम लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत की छूट देय है। *(40 प्रतिशत बकाया लीज राशि देय है)*
- मोटल, रिसोर्ट के प्रकरणों में बकाया व अग्रिम 10 वर्षों की लीज राशि को मिलाकर कुल राशि चार छः माही किश्तों में जमा करायी जा सकेगी।

''यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क

पट्टा शुदा/आबादी भूखण्डों हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की दरें -

क्र.सं.	भू-उपयोग परिवर्तन	दर
1	गैर व्यावसायिक व व्यावसायिक	▪ आवासीय आरक्षित दर की 20% दर ▪ आरक्षित दर निर्धारित नहीं होने पर आवासीय डी.एल.सी दर की 10% की दर
2	किसी भी उपयोग से भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन (वयावसायिक को छोड़कर)	▪ आवासीय आरक्षित दर की 10% दर ▪ आरक्षित दर निर्धारित नहीं होने पर आवासीय डी.एल.सी दर की 5% की दर

- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एक मुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छूट
- राशि 1 वर्ष में 4 किस्तों (प्रथम 15%, द्वितीय 35%, तृतीय 25% एवं चतुर्थ 25%) में भी जमा करवायी जा सकेगी।।

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ पट्टे के संबंध में

विकास शुल्क

- आवासीय 500 वर्गमीटर से अधिक एवं अन्य सभी प्रयोजन हेतु देय
- दिनांक 31.03.2019 के पश्चात् की स्वीकृत योजनाओं में प्रीमियम राशि व लीज राशि के अतिरिक्त विकास शुल्क साईट प्लान शुल्क व सर्वे शुल्क आदि भी देय

➢ **बाह्य विकास शुल्क**

▪ नगर निगम क्षेत्र	–	200/– प्रति वर्गमीटर
▪ नगर परिषद क्षेत्र	–	150/– प्रति वर्गमीटर
▪ नगर पालिका क्षेत्र	–	100/– प्रति वर्गमीटर

बाह्य विकास शुल्क सम्पूर्ण योजना क्षेत्र पर देय होगा तथा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्य सभी प्रावधान/छूट लागू रहेगी।

➢ **आन्तरिक विकास शुल्क/सीवरेज चार्जेज** –

- निजी कृषि भूमि की योजनाओं में विकासकर्ता द्वारा ही आन्तरिक विकास किया जायेगा।
- बसी हुयी कॉलोनियों में टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुरूप रु. 140/– प्रति वर्गमीटर सीवरेज चार्जेज देय है एवं निकाय द्वारा निर्धारण के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क देय है।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क

परिवर्तित भू–उपयोग के अनुसार लीज राशि –

- आवासीय से संस्थानिक या अन्य भू–उपयोग परिवर्तन (जिनमें आवासीय उपयोग के समान ही लीज राशि 2.5 प्रतिशत देय है)–
  - कोई अन्तर लीज राशि देय नहीं होगी।
  - फ्री–होल्ड पट्टे हेतु 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज राशि तत्समय की आवासीय आरक्षित दर/आवासीय दर के आधार पर देय
- आवासीय से मिश्रित या व्यासायिक भू–उपयोग परिवर्तन –
  - लीज राशि 5 प्रतिशत की दर से तत्समय की आवासीय आरक्षित दर/आवासिक दर के आधार पर देय
  - यदि पूर्व में 8 वर्ष की एक मुश्त लीज जमा है, तो 8 वर्ष की लीज राशि के समान अन्तर लीज राशि 2.5 प्रतिशत की दर से एवं 2 वर्ष की राशि 5 प्रतिशत की दर से तत्समय आरक्षित दर/ आवासिक दर के आधार पर देय

उप विभाजन/पुर्नगठन शुल्क

आबादी भूमि (पट्टाशुदा भूखण्ड) के उप-विभाजन/पुर्नगठन हेतु-

क्र.सं.	भू-उपयोग	दर (प्रति वर्ग मीटर)
1.	गैर व्यावसायिक *(आवासीय औद्योगिक, पर्यटन ईकाई, संस्थागत आदि)*	25/- अधिकतम 15.0 लाख
2.	व्यावसायिक /मिश्रित	100/- अधिकतम 50.0 लाख

ले-आउट प्लान संशोधन शुल्क -

- स्वीकृत ले-आउट प्लान में भुखण्ड का पट्टा जारी होने से पूर्व की उपविभाजन/पुर्नगठन होने पर अथवा ले-आउट प्लान में आवेदक द्वारा संशोधित कराने पर

  ले-आउट के संशोधित क्षेत्रफल पर 10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से राशि देय होगी।

नामान्तरण शुल्क

पंजीकृत विक्रय-पत्र/गिफ्ट डीड आदि के आधार पर नामांतरण में निम्न राशि देय होगी-

क्र.सं.	भू-उपयोग	राशि एक मुश्त
1.	300 वर्ग मीटर तक	1000/-
2.	300 वर्गमीटर से अधिक	4000/-

- उत्तराधिकारी (मृत्यु) के मामलों में नामान्तरण शुल्क देय नहीं होगा
- उपरोक्त नामान्तरण शुल्क के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी, परन्तु लीज राशि रियायती दर पर लॉटरी से आवंटित भूखण्डों के 10 वर्ष पूर्व बेचान की शास्ति राशि एवं निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने की शास्ती राशि आदि नियमों में निर्धारित की गई दर से देय होगी।

खांचा भूमि/बढ़ी हुयी भूमि की दरें

निकाय की योजनाओं में

- भूखण्डों में बढ़ी हुयी भूमि कीराशि आवंटन दर / नीलामी दर पर देय
- भूखण्डों में खांचा भूमि की राशि आरक्षित दर पर देय होगी।

निजी कृषि भूमि की योजनाओं में

- भूखण्डों में खांचा भूमि की राशि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत की दर से देय होगी।

बसी हुई कॉलोनियों में

- भूखण्डों के पट्टा लेने से पूर्व/पश्चात् बढ़ी हुई भूमि/खांचा भूमि की राशि एवं निजी कृषि भूमि की योजनाओं के भूखण्डों में पट्टा जारी होने से पूर्व/पश्चात् बढ़ी हुई भूमि की राशि आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर का जो भी कम हो, की 10 प्रतिशत की दर देय होगी।
- बसी हुई कॉलोनियों में राजकीय भूमि सम्मिलित होने पर विक्रय योग्य क्षेत्रफल पर ही आरक्षित/डीएलसी में से जोभी कम हो का 10 प्रतिशत की दर से राशि देय होगी।

''यह बात रखें ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

स्टॉप ड्यूटी

लिखित का विवरण	स्टाम्प ड्यूटी (शुल्क) रूपयों में
उक्त 1 से 6 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख जो पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो।	मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत
लीज होल्ड से फ्री –होल्ड	500/–
उप विभाजन/पुनर्गठन	500/–
नामान्तरण पश्चात् पट्टा लेने पर	500/–
भू–उपयोग पविर्तन	भू–उपयोगकपरिवर्तन शुल्क पर
टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा योजना के भूखण्डों का प्रोविजनल पट्टे/असाईनी/नोमिनी पत्र पर	500/– प्रत्येक विलेख पर
अन्य प्रकरणों में	पट्टे की प्रतिफल राशि के 2 प्रतिशत पर
कृषि भूमि के अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर पट्टा लेने पर	प्रत्येक अपंजीकृत दस्तावेज पर बाजार दर का 20 प्रतिशत सिर्फ भूमि पर (निर्माण पर देय नहीं)

''यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में''

अन्य शुल्क/शास्ती

लॉटरी से आवंटित भूखण्डों में 10 वर्ष से पूर्व भूखण्ड का विक्रय होने पर शास्ती देय -

क्र.सं.	आवंटन की दिनांक से	दर प्रति व. मी.
1.	5 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
2.	5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत

भवन निर्माण स्वीकृति

➢ आवासीय जी+1 से अधिक ऊँचाई के एवं अन्य सभी प्रकार के भवनों पर भवन निर्माण स्वीकृति की दरें भवन विनियम-2020 के अनुसार देय

राजकीय भूमि की दरें

➢ निजी कृषि भूमि की योजनाओं में पहुँच मार्ग हेतु एवं योजना के मध्य निकाय की भूमि/राजकीय भमि सम्मिलित होने पर राजकीय भूमि की राशि कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर अथवा आरक्षित दर में से जो भी अधिक हो, की दर से देय

➢ राजकीय भूमि/अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों के संबंध में 300 व.मी. तक के आवासीय भूखण्डों की राशि आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर जो भी कम हो का 10 प्रतिशत की दर से देय एवं लीज राशि आवंटन दर/नियमन दर पर देय

"यह बात रखे ध्यान में, पट्टा ले अभियान में"

Printed By Bharat Printing Press, Alwar M. : 9414016152

नगर विकास न्यास, अलवर

जिला PSKS सहायता केन्द्र 8000598170 (शिकायत WhatsApp पर कर सकते हैं), 9413399621